www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 22.02.2017

सीबीआई ने भारतीय दन्त परिषद् के अध्यक्ष एवं तीन अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं छ: स्थानों पर तलाशी की

सीबीआई ने भारतीय दन्त परिषद्, दिल्ली के अध्यक्ष ; भारतीय दन्त परिषद् के पूर्व कार्य वाहक सचिव ; गढ़वा स्थित दन्त कॉलेज एवं अस्पताल के अध्यक्ष ; पलामू स्थित विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति एवं अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 11 व 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज हुआ। ऐसा आरोप था कि भारतीय दन्त परिषद् (डी.सी.आई.) के अध्यक्ष जिनकी सदस्यता 31.05.2015 को समाप्त हो गई थी, लेकिन 31.05.2015 के बाद, डी.सी.आई. के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएँ जारी रखने के लिए उन्होने कपटपूर्ण तरीके से उक्त प्राइवेट दन्त कॉलेज एण्ड अस्पताल के मानद अतिथि प्रोफेसर होने का दावा कर झारखण्ड के प्राइवेट दन्त कॉलेज एवं अस्पताल के अध्यक्ष एवं उक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के साथ षड़यंत्र में झारखण्ड के उक्त विश्वविद्यालय से डी.सी.आई. की सदस्यता प्राप्त कर ली एवं इसके पश्चात, डी.सी.आई. के पूर्व सचिव के साथ षड़यंत्र में, वह दिनांक 01.06.2015 से दिनांक 22.10.2018 तक के लिए डी.सी.आई. के अध्यक्ष हो गए।

ऐसा आगे आरोप था कि अध्यक्ष, डी.सी.आई. ने अक्टूबर, 2012 एवं फरवरी, 2013 के दौरान निरीक्षक, डी.सी.आई. द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उक्त कॉलेज की कार्य प्रणाली में कमियॉं/ त्रुटियॉं पाये जाने के बावजूद वर्ष 2013 के दौरान उक्त प्राइवेट दन्त कॉलेज की बी.डी.एस. पाठयक्रम में 50 से 100 सीटों की क्षमता एवं वर्ष 2015 के दौरान केन्द्रीय सरकार, परिवार एवं स्वास्थ मंत्रालय (दन्त शिक्षा प्रभाग) के विभिन्न वर्गों के तहत 16 एम.डी.एस. की सीटों की क्षमता बढ़ाने की संस्तुति देकर पक्षपात किया।

आरोपी व्यक्तियों के दिल्ली, कोलकाता, रॉंची एवं गढ़वा स्थित आवासीय तथा कार्यालयी परिसरों सहित 06 स्थानों पर तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉंच जारी है।

****